काश्तकार के कॉलम में संवत 2012 में मोती पुत्र भूरा विश्नोई साकिन देह ठाकर पुत्र भूरा साकिन देह दर्ज है। संवत 2013 में बदस्तुर मोती व ठाकर पिसरान भूरा विश्नोई दर्ज है। संवत 2014 व 2015 के इन्द्राज अस्पष्ठ एवं अपठनीय है।

प्रदर्श-3 खसरा गिरदावरी संवत 2014-2017 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 133 बाबत नाम भूमिधारी किशोरसिंह वगैरा दर्ज है और काश्तकार के तौर पर संवत 2015 एवं 2016 में मोतिया पुत्र भूरा विश्नोई तथा संवत 2017 में **सुखीया पुत्र मोतीया विश्नोई ठाकरिया का** नाम दर्ज है।

प्रदर्श-3ए खसरा गिरदावरी संवत 2012-2015 में खसरा संख्या 134 बाबत नाम भूमिधारी के कॉलम में किशोरसिंह वगैरा दर्ज है और नाम काश्तकार के कॉलम में संवत 2012 में मोती पुत्र भूरा विश्नोई साकिन देह ठाकर पुत्र भूरा साकिन देह दर्ज है। संवत 2013 में बदस्तुर मोती व ठाकर पिसरान भूरा विश्नोई दर्ज है। संवत 2014 व 2015 के इन्द्राज अस्पष्ठ एवं अपठनीय है।

इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण के वाद की पुष्टि होती है, जबकि **प्रतिवादी सुखराम द्वारा वादग्रस्त भूमि कय किये जाने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत ही नहीं किया गया है और न ही जिस व्यक्ति को उसके द्वारा सहकेता बताया जा रहा है, उसके द्वारा उस व्यक्ति स्वयं द्वारा अथवा उस व्यक्ति के वारिसान द्वारा इस अभिकथन का समर्थन किया गया है।** मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी सुखराम ने स्वयं अपने बयानों के अलावा अन्य जिस व्यक्ति के बयान स्वरूप शपथपत्र पेश किया है, वह गवाह जिरह हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पेश ही नहीं हुआ है, अतः उसकी ओर से प्रस्तुत शपथपत्र का बतौर साक्ष्य कोई महत्व नहीं रहता है।

इसके विपरीत वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह भलीभांति सिद्ध हो जाता है कि मोतीराम के सुखा सहित कुल चार पुत्र थे, सुखा सबसे बडा पुत्र था, सुविधा की दृष्टि से चारो भाई वादग्रस्त आराजियात में अलग-अलग ढाणिया बना कर रहते थे, मगर कोई औपचारिक बंटवारा मोतीराम के परिवार में नहीं हुआ था। दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भी वादग्रस्त आराजियात में मोतीराम व ठाकर को ही धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदारी अधिकार अर्जित होना पाया जाता है, ऐसी स्थिति में मोतीराम के पुत्र होने के आधार पर विरासतन चारों भाईयों का मोतीराम के हिस्से पर समान हक बनता है। जमाबंदी **प्रदर्श-एक** में अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज होने का कोई संतोषजनक आधार समुचित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा साबित नहीं किया जा सका है।

इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में तनकी संख्या एक **आया वादीगण एवंप्रतिवादी संख्या एक स्व. मोती के वारिसान होने से खसरा संख्या 133, 134 ग्राम पिपरली के ½ भाग के संयुक्त रूप से सहखातेदार एवं इसी आशय की घोषणा के मुश्तहक है?** बहक वादीगण-रेस्पो. एवं बरखिलाफ प्रतिवादी विनिश्चित की जाती है।

तनकी संख्या दो **आया विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या एक की स्वयं की कयशुदा भूमि है जिसमें स्व. मोती के अन्य वारिसान को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है?** को साबित करने का दायित्व प्रतिवादी सुखाराम पर रखा गया था, मगर इस तनकी को साबित करने के लिए प्रतिवादी सुखाराम द्वारा न तो कोई विकय विलेख बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही कोई निष्पक्ष मौखिक गवाह पेश किया गया। ठाकराराम को सहकेता बताया, मगर ठाकराराम के वारिसान ने भी उसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कथन की पुष्टि नहीं की। अतः तनकी संख्या दो का निस्तारण बहक वादी-रेस्पो. एवं बरखिलाफ प्रतिवादी-अपीलाण्ट किया जाता है।

तनकी संख्या एक व दो के संबंध में किये गये विवेचन एवं दिये गये निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तनकी संख्या तीन **आया वादीगण विवादग्रस्त भूमि के ½ हिस्से के लिए प्रतिवादी संख्या एक के साथ भूमि का माप एवं सीमाकंन के आधार पर विभाजन के मुस्तहक है,?** का निस्तारण स्वतः ही स्वभाविक तौर पर वादीगण-रेस्पो. के पक्ष में एवं प्रतिवादी-अपीलाण्ट के खिलाफ हो जाता है।

तनकी संख्या चार **अनुतोष** के संबंध में है। इस संबंध में अदालत हाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी के जरिये दिये गये अनुतोष से पूर्णतः सहमत है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 10 **मार्च** 2017 **यथावत रखे** जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 22/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1.सुखराम पुत्र श्री मोतीराम विश्नोई,निवासी पीपरली,तहसील लूणी,जिला जोधपुर हाल निवास राजीव गांधी कॉलोनी,जाकिर हुसैन मार्ग पाल लिंक रोड़,जोधपुर	ब ना म	1. बांगाराम पुत्र श्री मोतीराम विश्नोई 2. धीमाराम पुत्र मोतीराम विश्नोई 3.पूनाराम पुत्र मोतीराम विश्नोई निवासीगण पीपरली(खिलेरियों की ढाणी)तहसील लूणी,जिला जोधपुर 4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर,लूणी दिनांक 10 मार्च 2017 राजस्व वाद संख्या 143/2009 बागाराम व अन्य बनाम सुखराम आदि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 22 नवम्बर 2019 बहाजरी अधिवक्ता श्री रामसुख शर्मा एवं श्री राकेश शर्मा उपस्थित।रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री सुगनमल परिहार,सिद्धार्थ परिहार एवं पूनाराम विश्नोई व राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से तदनुसार खारिज की जाती है ओर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मार्च 2017 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। **(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---/-----) रूपये ---/--------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ------/--- अदा करें।**

बसल्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 22 नवम्बर 2019 को जारी किया गया।

22/11/19

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	✓	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	✓

22/11/19

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर